67/18

A2/2

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – श्रीमती रीना छींम्पा, R.A.S.
Camp - 27 G.G.

वादपत्र संख्या 67/2018
अन्तर्गत धारा 88, 53 राज. काश्तकारी अधिनियम

रामसिंह आयु 35 वर्ष आत्मज श्री साहबराम, जाट, चक 18 जी.जी तहसील व जिला श्रीगगानगर

...वादी

बनाम

1. साहबराम आत्मज श्री अमरसिंह, जाट, चक 18 जी.जी.तहसील व जिला श्रीगंगानगर
2. विनोदकुमार आत्मज श्री साहबराम, जाट, चक 18 जी.जी.तहसील व जिला श्रीगंगानगर
3. श्रीमती पूनम आत्मजा श्री साहबराम धर्मपत्नी श्री विकास, जाट गांव जोड़कियां तहसील व जिला हनुमानगढ
4. शाखा प्रबन्धक, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा–श्रीगंगानगर
5. राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर.

..प्रतिवादीगण

उपस्थित– श्री मनोहरलाल सहारण (वादी)
श्री हरीश सोनी (प्रतिवादी–1से3)
पैरोकार राज (प्रतिवादी–4)

दिनांक 22 जून, 2018

– निर्णय –

वादपत्र के तथ्यों के अनुसार चक 5 एच.एच. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 35/27 मुरब्बा नम्बर 9 किला नम्बर 1 से 12 एवं किला नम्बर 13/1(0.076) हैक्टर कुल 3.112 हैक्टर एवं चक 2 एल.एल. के खाता संख्या 36/27 मुरब्बा नम्बर 44 किला नम्बर 1 से 25 की कुल 6.325 हैक्टर कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 श्री साहबराम के नाम से दर्ज है. चक 5 एच.एच. स्थित प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि पूर्व में वादी के चाचा श्री दयाराम द्वारा पंजीबद्व विक्रय विलेख द्वारा क्रय किया गया था चूंकि उक्त कृषि भूमि संयुक्त परिवार की पैतृक सम्पत्ति की आय से क्रय की गयी थी इसलिये प्रश्नगत कृषि भूमि पैतृक सम्पत्ति है. प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर दर्ज प्रश्नगत कृषि भूमि प्रतिवादी को अपने पिता एवं भाईयों द्वारा घरू बंटवारा में पारिवारिक समझौता के अन्तर्गत प्राप्त हुई है तथा पैतृक सम्पत्ति होने के कारण वादी का जन्म से ही हक व हिस्सा बनता है जिसे पाने का वादी अधिकारी है. प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर दर्ज पैतृक सम्पत्ति संयुक्त अविभाजित हिन्दू परिवार की संयुक्त अविभाजित सम्पत्ति है संयुक्त खाता दर्ज होने से लगान, आबयाना, पानी की भराई, खिंचाई में व्यवहारिक

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगं.

67/18

A2/3

रूप से कई दिक्कतें आती है, बैंक ऋण सुविधा, सरकारी अनुदान का पूरा लाभ नहीं मिल पाता है इस कारण हक व हिस्सा के अनुसार राजस्व अभिलेखों में घरू बंटवारा की कियान्विती करवायी जानी आवश्यक है. प्रतिवादी संख्या 1 खर्चीले स्वभाव का होने के कारण बिना संयुक्त परिवार की घरू आवयकताओं के कृषि भूमि को बंधक एवं विकय करने में प्रयासरत रहता है. पूर्व में भी उसके द्वारा बिना संयुक्त परिवार की आवश्यकता के कृषि भूमि को बंधक रखा गया था जिस पर परिवार के नजदीकी रिश्तेदारों द्वारा दोनों पक्षों में परस्पर राजीनामा करवा दिया. राजीनामा के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का घरेलू बंटवारा अनुसार हक व हिस्सा अनुसार कृषि भूमि पृथक पृथक कर दिया गया. इसी घरू बंटवारा के अनुसार दोनों पक्ष अपने अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि पर काबिज होकर बिना किसी व्यवधान के अपने हिस्सा की कृषि भूमि का उपयोग एवं उपभोग करते आ रहे हैं. घरू बंटवारा के अनुसार वादी को – चक 5 एच.एच. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 35/27 मुरब्बा नम्बर 9 किला नम्बर 1 से 12 एवं किला नम्बर 13/1(0.076) हैक्टर कुल 3.112 हैक्टर कृषि भूमि, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को – चक 2 एल.एल. के खाता संख्या 36/27 मुरब्बा नम्बर 44 के किला नम्बर 1 से 25 की 6.325 हैक्टर एवं प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा पैतृक सम्पत्ति में से अपना हक व हिस्सा लेने से इन्कार करने की स्थिति में उसे कोई हिस्सा नहीं दिया गया. वादी द्वारा समय समय पर प्रतिवादीगण से घरू बंटवारा के अनुसार हक व हिस्सा के अनुसार प्रत्येक पक्षकार के हिस्सा में प्राप्त कृषि भूमि राजस्व अभिलेखों में दर्ज करवाने के लिये कहने पर पहले तो आजकल आजकल करते रहे तथा करीब 15 रोज पूर्व स्पष्ट इन्कार हो गये और कहने लगे कि मेरे भाई की कृषि भूमि में वादी का कोई हक व हिस्सा नहीं है और न ही प्रतिवादीगण सक्षम अधिकारी के समक्ष सहमति देगे. जो करना है कर लें, यही वादहेतुक वादी को प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व उपलब्ध हुआ है. इस प्रकार वादी द्वारा घरू बंटवारा के अनुसार वादी को उसके हिस्सा में प्राप्त कृषि भूमि का खातेदार घोषित करने, खाता विभाजित कर लगान व आबियाना पृथक पृथक कायम करने का निवेदन किया गया. वादपत्र के तथ्यों के समर्थन में चक 5 एल.एल. की जमाबन्दी सम्बत् 2066–2069, चक 2 एल.एल. की जमाबन्दी सम्बत्2069–2070,पंजीबद्व दस्तावेज बैयनामा दिनांक 22 सितम्बर, 1999 की प्रमाणित प्रतियां एवं प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से जारी पत्रांक 503/20128 दिनांक 22 जनवरी, 2018 की चित्रित प्रति सलंग्न प्रस्तुत की गयी.

प्रतिवादी संख्या 1 से 3 अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित. प्रतिवादी संख्या 5 राज्यपक्ष की ओर से पैरोकार राज उपस्थित.

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा स्वयं उपस्थित आकर राजीनामा दिनांक 11 जून, 2018 प्रस्तुत किया गया. वादी की पहचान अधिवक्ता श्री मनोहरलाल सहारण, प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की पहचान अधिवक्ता श्री हरीश सोनी द्वारा की गयी. अतिरिक्त वादी के नाम पर जारी चुनाव पहचानपत्र संख्या के.पी.क्यू./1314269, प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर जारी चुनाव पहचानपत्र संख्या के.पी.क्यू./1005933, प्रतिवादी

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

67/18

A2/4

संख्या 2 के नाम पर जारी चुनाव पहचानपत्र संख्या के.पी.क्यू/1314277, प्रतिवादी संख्या 3 के नाम पर जारी चुनाव पहचानपत्र संख्या के.वी.एस./1523646, 9703 4132 7606 की स्वः प्रमाणित चित्रित प्रतियां संलग्न प्रस्तुत की गयी. अतः राजीनामा प्रमाणित किया गया.

प्रतिवादी संख्या 5 राज्यपक्ष की ओर से पैरोकार राज द्वारा जवाब वादपत्र कैम्प– ओडकी में दिनांक 15 जून, 2018 प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार प्रतिवादी संख्या 5 के पक्ष को ध्यान में रखते हुऐ निस्तारण करने का निवेदन किया गया.

पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा, अभिलेखीय साक्ष्य स्वरूप चक 5 एल.एल. की जमाबन्दी सम्बत् 2066–2069, चक 2 एल.एल. की जमाबन्दी सम्बत्2069–2070,पंजीबद्व दस्तावेज बैयनामा दिनांक 22 सितम्बर, 1999 के अअनुसार पैतृक कृषि भूमि को पूर्व में विकय कर प्रश्नगत कृषि भूमि कय की गयी है. जो स्पष्ट रूप से पैतृक सम्पत्ति की परिभाषा में आती है. ऐसी परिस्थिति में, विवाद्यकों का निर्धारण अपेक्षित नहीं रहा. पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के समर्थन में साक्ष्य स्वरूप प्रमाणित शपथपत्र प्रस्तुत किये गये.

अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गयी.

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं अभिलेखीय साक्ष्यों का अवलोकन करते हुऐ प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया.

राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल राजस्थान) अधिनियम, 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6, आदेश 23 नियम 3 व्यवहार प्रकिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार पारिवारिक समझौता के आधार पर वादपत्र डिकी किया जाता सकता है. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्वान्तों के अनुसार भी पारिवारिक समझौता को अधिक महत्व दिया गया है.

अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गयी.

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं अभिलेखीय साक्ष्यों का अवलोकन करते हुऐ प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया.

पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा, अभिलेखीय साक्ष्य स्वरूप चक 5 एल.एल. की जमाबन्दी सम्बत् 2066–2069, चक 2 एल.एल. की जमाबन्दी सम्बत्2069–2070,पंजीबद्व दस्तावेज बैयनामा दिनांक 22 सितम्बर, 1999 के अअनुसार पैतृक कृषि भूमि को पूर्व में विकय कर प्रश्नगत कृषि भूमि कय की गयी है. जो स्पष्ट रूप से पैतृक सम्पत्ति की परिभाषा में आती है. जिसका पक्षकारान राजीनामा के अनुसार घोषणा कराकर विभाजन करवाने के अधिकारी हैं.

।। आदेश।।

वादपत्र स्वीकार किया जाता है तथा **वादी श्री रामसिंह आत्मज श्री साहबराम को** – चक 5 एच.एच. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(श्रम रेक) श्रीगंगानगर

67/18

A2/5

संख्या 35/27 मुरब्बा नम्बर 9 किला नम्बर 1 से 12 एवं किला नम्बर 13/1(0.076) हैक्टर कुल 3.112 हैक्टर कृषि भूमि, **प्रतिवादी संख्या 1 व 2 सर्वश्री साहबराम आत्मज श्री अमरसिंह एवं श्री विनोदकुमार आत्मज श्री साहबराम को** – चक 2 एल.एल. के खाता संख्या 36/27 मुरब्बा नम्बर 44 के किला नम्बर 1 से 25 की 6.325 हैक्टर कृषि भूमि का खातेदार घोषित कर यथा विभाजन किया जाता है. प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा अपने अधिकारों का परित्याग किया गया है इसलिये परित्याग विलेख पर लागू स्टाम्प डयूटी एवं पंजीकरण शुल्क का भुगतान करने एवं बैक ऋण से मुक्त होने पर ही निर्णय की कियान्विती की जा सकेगी. यथा डिक्री जारी हो.

आदेश खुले लोक अदालत न्यायालय कैम्प– 27 जी.जी. में आज दिनांक 22 जून, 2018 को सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

(श्रीमती वीना छीम्पा)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर